( ख ) **निरोधा-छुट्टी**—सरकारी सेवक वस्तुत: जिस मकान में रहता है, उसमें यदि संक्रामक रोग हो, तो उसे कार्यालय में उपस्थित न होने का आदेश दिया जा सकता है । ऐसे आदेश के फलस्वरूप कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की छुट्टी निरोधा-छुट्टी कहलाती है । यह छुट्टी, नियम 5 में विहित मंजूर करनेवाला प्राधिकारी, चिकित्सा-पदाधिकारी या लोक-स्वास्थ्य-पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र पर अधिक-से-अधिक 21 दिनों के लिए या खास परिस्थितियों में, 30 दिनों के लिए दे सकता है । इस अवधि से अधिक निरोधा के लिए जो छुट्टी आवश्यक होगी, वह साधारण छुट्टी मानी जाएगी । जरूरत होने पर, निरोधा छुट्टी दूसरी छुट्टी के क्रम में भी उपर्युक्त सीमा तक दी जा सकती है । निरोधा-छुट्टी पर स्थित सरकारी सेवक कर्त्तव्य से अनुपस्थित नहीं समझा जाता है और उसका वेतन नहीं रुकता । लोक-निर्माण विभाग के ( भवन और सड़क सिंचाई लोक-स्वास्थ्य तथा बिजली शाखाओं के सहित) कर्मभारित कर्मचारियों को, उन्हें आकस्मिक-छुट्टी देने में, सक्षम-प्राधिकारी निरोधा छुट्टी दे सकता है ।

[1][ **अपवाद**—जो चिकित्सा पदाधिकारी, आकस्मिक छुट्टी पर जाने वाले किसी दूसरे चिकित्सा-पदाधिकारी के स्थान में प्रतिनियुक्त हों उन्हें सरकार, दौरे की तरह यात्रा-भत्ता देगी ।]

**टिप्पणी ( 1 )**—हैजा, चेचक, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफ्वायड-ज्वर, सेरेब्रो स्पाइनल में मेनिनजाइटिस इस नियम के प्रयोजनार्थ संक्रामक रोग समझे जा सकते हैं । छोटी चेचक ( चिकेनपाक्स) की दशा में, निरोधा-छुट्टी तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि उत्तरदायी स्वास्थ्य-पदाधिकारी यह न समझे कि रोग की, उदाहरणार्थ बड़ी चेचक की, ठीक पहचान में संदेह होने के कारण ऐसी छुट्टी देने का कारण है ।

अन्य राज्य-सरकारों के प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में अधिष्ठित सरकारी सेवकों की दशा में, उन सरकारों ने अपने निरोधा-छुट्टी सम्बन्धी नियमों के प्रयोजनार्थ जिन अन्य रोगों को संक्रामक माना हो, वे भी इस नियम के प्रयोजनार्थ संक्रामक रोग समझे जा सकते हैं ।

परन्तु अन्य सम्बद्ध राज्य-सरकारों ने यदि अपने आदेशों में उपर्युक्त रोगों को संक्रामक नहीं माना हो, तो भी ऐसी सरकारी सेवकों को उपर्युक्त किसी भी रोग के लिए निरोधा छुट्टी मिल सकेगी ।

**टिप्पणी ( 2 )**—राज्य सरकार का सम्बद्ध प्रशासी विभाग, निरोधा-छुट्टी पर अनुपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति की जगह पर प्रतिस्थानी के लिए मंजूरी दे सकता है, जिसका काम उसके वेतन पर बिना विपरीत प्रभाव डाले,

1. शुद्धि पत्र संख्या 13, दिनांक 27-8-1953 द्वारा अन्त:स्थापित ।